राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पन्नाराम बनाम रामदेव

195/2008

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर उनकी मौखिक बहस भी सुने जाने का निवेदन किया। अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु दिनांक 05/05/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
05/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 08/06/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
08/06/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी का पेश किया, जिसमे रेस्पो. संख्या ने वाद पत्र में ईस्तदुआ चाही गयी कि वादी का वाद विरुद्ध प्रति. सं. 1 व 2 बाबत खातेदारी घोषणा इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि आराजी खसरा नं. 61/2/2, 61/2/4 किता दो कुल रकबा 31 बीघा 10 विस्वा वाके ग्राम सांखलो का बास तह. फुलेरा में वादी के 1/2 हिस्से में से 5/6 हिस्से के प्रति. सं. 1 व 2 खातेदार काश्तकार हैं अर्थात कुल आराजी में 1/12 हिस्सा दादी का व 5/12 हिस्सा प्रति. सं. 1 व 2 का तथा शेष 1/2 हिस्सा दूला पुत्र काना का बदस्तुर रहेगा। इसी प्रकार आराजी खसरा नं. 111/2 रकबा 11 बीघा वाके भींखावास तह. फुलेरा में वादी का 1/8 हिस्सा हैं तथा प्रति. सं. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हैं उसमें प्रति. सं. 1 व 2 का हिस्सा मिलाते हुये वादी को 5/8 हिस्से का उक्त आराजीयात में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व अमल दरामद किया जावे कि वादी उक्त आराजी में 5/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार हैं शेष हिस्सा 3/8 बदरतुर देवाराम का रहेगा। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 111/3 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम भीखावास में स्थित है उसमे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 4/10 हिस्सा है उसमे वादी उक्त 4/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे कि वादी उक्त आराजी के 4/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर राजस्व अपील प्राधिकारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	पन्नाराम बनाम रामदेव हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	195/2008	

राजीनामा पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस समायत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 12/09/2008 पारित करते हुये वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण बरुये राजीनामा मध्य सह-काश्तकारान डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नं. 61/2/2, 61/2/4 किता दो कुल रकबा 31 बीघा 10 विस्वा वाके ग्राम सांखलो का बास तह. फुलेरा में वादी के 1/2 हिस्से में से 5/6 हिस्से के प्रति. सं. । व 2 खातेदार काश्तकार हैं अर्थात कुल आराजी में 1/12 हिस्सा वादी का व 5/12 हिस्सा प्रति. सं. 1 व 2 का तथा शेष 1/2 हिस्सा दूला पुत्र काना का बदस्तुर रहेगा। इसी प्रकार आराजी खसरा नं. 111/2 रकबा 11 बीघा वाके भींखावास तह. फुलेरा में वादी का 1/8 हिस्सा हैं तथा प्रति. सं. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हैं उसमें प्रति. सं. 1 व 2 का हिस्सा मिलाते हुये वादी को 5/8 हिस्से का उक्त आराजीयात में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यानि वादी उक्त आराजी में 5/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार हैं शेष हिस्सा 3/8 बदस्तूर देवाराम का रहेगा | इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 111/3 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम भीखावास में स्थित है उसमे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 4/10 हिस्सा है उसमे वादी उक्त 4/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश की एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र राजीनामा पेश होना अंकित कर घोषणा खातेदारी का अनुतोष प्रदान करते हुये सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी, जिसमे तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी किया जाना प्रकट होता है | कानूनन घोषणा का बिन्दु तय करने हेतु विधिक प्रावधानों एवं प्रकरण के तथ्यों का परिक्षण/विवेचन किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के लिए आवश्यक था किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी कारित की गयी है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12/09/2008 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	पन्नाराम बनाम रामदेव हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
195/2008		

कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 08/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर